(371)

(26)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांकः–प.3(628)नविवि / 3 / 2011 जयपुर, दिनांकः 28 FEB 2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के लिये मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा कमांक प.5(1) मंमं / 2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित एम्पावर्ड समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 31.01.2012 में विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:–

1. परिधि नियन्त्रण पट्टी / ईकोलोजिकल जोन / ग्रामीण क्षेत्र में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों का भू–उपयोग परिवर्तन के लिये आवंटी द्वारा अपने स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
2. राजस्थान आवासन मण्डल के अवाप्तशुदा भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटन के प्रस्ताव विभागीय स्तर पर ही निर्णित किये जावेंगे। मण्डल की समझौता समिति के निर्णय के साथ प्रेषित किये गये ऐसे प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अविकसित भूमि के आवंटन की स्थिति में बाहय विकास के कार्य आवंटी द्वारा अपने स्तर पर कराने होंगे अथवा सम्बन्धित न्यास / निकाय / प्राधिकरण / आवासन मण्डल द्वारा बाहय विकास के कार्य कराये जाने पर वास्तविक खर्च आवंटी से वसूल किया जावेगा।

एम्पावर्ड समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.के. देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(151)

27

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, उद्योग विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, ऊर्जा विभाग।
5. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
6. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्य मंत्री, यातायात एवं गृह विभाग।
7. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
11. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
14. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
15. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
16. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव